न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 37/2008
सीएमएस : 2008/00026

1. कृष्णलाल पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई सुथार साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर।
—:प्रार्थी

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्री बगड़ावतराम जाति बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
1/1 रामेश्वरी देवी पत्नी श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. विजयनगर।
2. भूपकुमार
3. औमप्रकाश
4. भजनलाल
5. सुभाषचन्द्र
6. इन्द्राज
} पुत्रगण श्री हेतराम बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. श्री विजयनगर।
7. राजाराम पुत्र श्री बगड़ावतराम जाति बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. विजयनगर।
8. शांति देवी बैवा श्री मामराज जाति बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. विजयनगर।
9. मायादेवी पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री मामराज जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा तह. सुरतगढ़।
10. सुमित्रादेवी पत्नी श्री रामधन पुत्री मामराज जाति बिश्नोई साकिन 20 जीबी तह. विजयनगर।
11. जगदीशचन्द्र
12. भादरराम
13. सुभाषचन्द्र
} पुत्रगण श्री मामराज जाति बिश्नोई साकिन मसानीवाला तह. श्री विजयनगर।
14. रूकमादेवी पुत्री श्री बगडावतराम पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 तह. श्री विजयनगर।
15. छिलीदेवी पुत्री श्री बगड़ावतराम पत्नी श्री शिवराज साकिन डाबला तहस. रायसिंहनगर।
16. अनूपकुमार पुत्र श्री भोलूराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर।
17. राजबिन्दु पत्नी अनुपकुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर।
18. मदनलाल पुत्र श्योकरण जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर।
19. निहालचन्द्र पुत्र श्योकरण जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर।
20. सन्तोषकुमार पुत्र श्योकरण जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।
23. कमलादेवी पुत्री हेतराम पत्नी पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन 82 एल.एन.पी. तह. सुरतगढ़ श्रीगंगानगर।
24. विद्यादेवी पुत्री हेतराम पत्नी भादराम जाति बिश्नोई साकिन 79 एल.एन.पी. तह. सूरतगढ़।
—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 03.03.2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:41 IST
Reason: Self Attested

उपरिथतअधिवक्तागण
1. रणवीरसिह बिश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

—:निर्णय:— दिनांक :—23.01.[illegible]

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ... पिता अप्रार्थी सं. 1 हेतराम ... उसके पिता श्री बगड़ावतराम से चक 1 एमके ए के मु.न. 14 के 1.771 है. मुरब्बा न. 50 ... 1 है., मु.नं. 48 में 2.277 है. कुल 5.048 है. में .992 है हिस्सा व चक 3 एसएडी के मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

नं 10 के 0.493 है. मुरब्बा नं. 11 के 3.010 है. मुरब्बा नं. 12 के 3.037 है. मुरब्बा नं. 28 के 2.720 है. भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 3.086है. इस प्रकार कुल 1 एमकेए में .992 है. व चक 3 एसएडी में 3.086 है. भूमि विरासतन में मिली है जो जद्दी जायदाद है। इस भूमि को काश्त कर इस भूमि क उपज से चक 14 एमएल के मुरब्बा नं. 81 के 6.325 है. भूमि आवंटन करवाई और संयुक्त कमाई से इस भूमि की सारी किस्ते खजाना राज में जमा करवाई मौके पर यह भूमि खातेदारी है चूंकि हम व हमारे दादा सभी हिन्दू खानदान के होने के नाते हमारे दादा ने भी उक्त भूमि की कमाई से मेरे भाई भूपकुमार अप्रार्थी नं. 2 के नाम से चक 4 एमएसडी के मुरब्बा नं 33 में 1.646 है. भूमि खरीद की थी। यह सारी भूमि साझी संयुक्त खाता की जद्दी जायदाद की उपज से हमारे दादा ने खरीदी है। यह भूमि खरीद की उस समय भूपकुमार नाबालिग था इससे भी यह स्पष्ट है कि सारी कृषि भूमि जद्दी जायदाद है। इस प्रकार हमारे परिवार में सारी जद्दी जायदाद सभी चकों में 12.049 है भूमि बनती है और इस भूमि में हम पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बराबर –बराबर बनता है प्रत्येक हिस्सेदार को 1.721 है. भूमि आती है जो हर हिस्सेदार की नहरी में नहरी व बारानी में बारानी भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। हम पक्षकारान ने बाहामी बंटवारा किया तब मेरे पिता ने मेरे को जीवन यापन के लिए चक 14 एमएल के मुरब्बा नं. 81 के कि.नं. 1–10–11–20–21 कुल 1.265 है. बारानी व चक 1 एमकेए के मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 6 व 15 में .190 है. नहरी भूमी दे रखी है जो मेरे कब्जा काश्त में है मौके पर हाड़ी की फसल मेने काश्त कर रखी है। जब मेरे पिता अप्रार्थी नं. 1 अन्य अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के बहकावे में आ गया। उसने लगभग 2 बीघा भूमि बेच दी और भी भूमि बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है और यह भूमि बेच कर अन्यत्र अपने नाम भूमि खरीद करने की फिराक में है मैने मेरा हिस्सा मांगा तो वह आज कल करके समय निकाल रहे है। इस पर मेने दिनांक 20.02.2008 को पंचायत इकठी की तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने कहा कि तेरा हमारी जमीन में कोई हिस्सा नहीं है जो तेरे को हमने जमीन दे रखी है उससें भी तेरे को बेदखल कर कब्जा हम वापिस लेंगें। अप्रार्थीगण चक में सरेआम धमकीया देते घुम रहे है कि हम प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा वापिस लेकर सारी भूमि का खुर्द बूर्द कर देगे। अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादे मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा। समस्त भूमि जद्दी जायदाद है प्रार्थी के जन्म से ही इस भूमि में हिस्सा है इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है अगर अप्रार्थीगण ने जमीन को खुर्द बूर्द करने से रोका जावे व किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण करने से रोका जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ताफैसला वाद पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि मद संख्या 3 मे वर्णिति 12.049 है. भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण न करें खुर्द बूर्द न करें। तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि चक 14 एम.एल. के मुरब्बा नं. 81 के कि.नं. 1–10–11–20–21 के 1.265 है. चक 1 एमके ए के मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 6 व 15 में कुल .190 है. भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग व धारण मे किसी प्रकार से दखलान्दाजी न करें तथा किसी बैंक अथवा संस्था को गिरवी रख रक उक्त सारी भूमि पर लोन या ऋण न लेवें।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 6 की तरफ श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार ज[illegible] में अप्रार्थी नं. 1 का .992 है. हिस्सा गलत दर्ज किया गया है जब कि [illegible] का .537 है. भूमि है व चक 3 एसएडी में 3.086 है. हिस्सा [illegible] बताया है जो गलत है कुल नो हिस्सेदार है। हेत[illegible] में प्रार्थी [illegible] वा हिस्सा है। प्रार्थीया कमलादेवी व विद्यादेवी को पक्षकार [illegible] है इसलिए प्रार्थी का दावा चलने योग्य नहीं है। [illegible] नं. 81 के 6.325 है. भूमि अप्रार्थी हेतराम को पात्र मान कर राज्य सरकार ने आवंटन [illegible] है इस भूमि की किस्त भी हेतराम ने स्वयं जमा करवाई हे इसलिए हेतराम के जीवनकाल में किसी का कोई हक या

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]सिंहनगर

AnyScanner

हिस्सा नहीं है यह भूमि हेतराम स्वयं की पैदा कर दा है। चक 4 एमएसडी के पं.नं 151/342 के मुरब्बा नं. 33 के 1.646 है. भूमि अप्रार्थी नं. 2 भूपकुमार की खरीद शुद्धा है भूपकुमार अप्रार्थी संख्या 2 का जन्म 13.11.1955 को हुआ है और यह भूमि दिनांक 05.02.1980 को खरीदी थी जब कि भूपकुमार सन् 1977 में सरकारी नौकरी में सेवारत था जो उस समय अपनी आय व ससुराल वालों से पैसे लेकर स्वयं ने खरीद की है इसलिए यह भूमि उसके स्वयं की स्वयअर्जित भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 हेतराम के हिस्सा में जददी जायदाद 3.623 है. भूमि हिस्सा में आती है जिसमें कुल 9 हिस्सेदार है इस प्रकार प्रत्येक हिस्सेदार को .403 है. भूमि हिस्सा में आती है। प्रार्थी को इसी हिस्सा अनुसार 0.403 हे. भूमि आती है जो चक 1 एमके व 3 एसएडी में 0.403 है. भूमि दे रखी है। चक 14 एमएल के मु.नं. 81 के 6.325 है. भूमि अप्रार्थी नं. 1 की स्वयं पैदा करदा भूमि है जो उसके कब्जा काश्त में है। इस भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी हेतराम के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक या हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को चक 1 एम.के के मु.नं. 14 में 0.060 है0 व चक 3 एसएडी में .443 है. भूमि दे रखी है जो उसके कब्जा काश्त में है। हेतराम ने कोई कृषि भूमि का बैचान नही किया है अप्रार्थी की स्वयं पैदा करदा भूमि चक 14 एमएल की अप्रार्थी नं. 1 व चक 4 एमएसडी की अप्रार्थी नं. 2 की भूमि है इसलिए सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्राथीगण का केस प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हेतराम अप्रार्थी की भूमि में से प्रार्थी ने हिस्सा मांगा है जब कि हेतराम के कुल आठ लड़के व लड़किया है जब कि प्रार्थी ने कमला देवी व विद्यादेवी पुत्रीयान हेतराम को पक्षकार नहीं बनाया है जब कि उनका हेतराम की भूमि में हिस्सा है जो आवश्यक पक्षकार हे इसलिए प्रार्थी का दावा प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं होने क वजह से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 5 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे प्रार्थना पत्र में मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहे व अन्य को हस्तान्तरण न करने हेतु रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का अधिकार बनता है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जाना खारिज किया जावे।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। मद संख्या 3 मे वर्णिति 12.049 है. भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण न करें खुर्द बूर्द न करें। उक्त विवादित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति है इस मे प्रार्थी का हिस्सा बनता है उक्त वाद में खाता विभाजन किया जाना है इन बिन्दूओ का निस्तारण मूलवाद मे दोनों पक्षों के साक्ष्य व मौका कब्जा काश्त के बाद ही किलाबार का विवरण लिया जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। संयुक्त हिस्सा का फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थी को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचानकर दी जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थी को होगी जिसे ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ मे नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होताहै।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना [illegible] के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि सहदायगी [illegible] संपत्ति मद संख्या

3 में वर्णित 12.049 है. भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय हस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थी को नुकसान होता हो। दिनांक 03.03.2008 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner